

प्रपत्र – 'ख'

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के लिए नामांकन पत्र (नियमावली के नियम – २० के अन्तर्गत)

मैं एतद् द्वारा अधोलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य है और सेवाकाल में मेरी मृत्यु हो जाने पर जो आनुतोषिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जाय, उसको प्राप्त करने का उन्हें अधिकार प्रदान करता हूँ तथा मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मेरी मृत्यु होने पर मुझे अनुमन्य आनुतोषिक की जो भी धनराशि भुगतान के लिए अवशेष रह जाय उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकार देता हूँ।

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पते	अध्यापक से सम्बंध	आयु	प्रत्येक को देय आनुतोषिक की धनराशि अथवा अंश	घटना जिसके घटित होने पर नामित अप्रमावी इनवैलिड हो जायेगा	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते तथा सम्बंध जिन्हे नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा अध्यापक की मृत्यु के बाद परन्तु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित अधिकार प्राप्त हो जायेगा	प्रत्येक को आनुतोषिक धनराशि अथवा अंश	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८

यह नामांकन पूर्व में मेरे द्वारा दिये गये नामांकन दिनांक जो अब निरस्त हो गया है, का अक्रियरण करता है।

नामित – स्तम्भ चार तथा सात में आनुतोषिक की पूर्ण धनराशि को आच्छादित करने के लिए आज दिनांक को प्रस्तुत

साक्षियों के हस्ताक्षर

अध्यापक के हस्ताक्षर

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि इस नामांकन पत्र पर आज मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रति हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

दिनांक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुहर

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुहर